फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कालूराम बनाम शांति व अन्य

संख्या /वर्ष : 45/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। वादी द्वारा स्वयं की एकल खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 307 रकबा 0.57 हे. वाके ग्राम सुन्दरका बास तह. आमेर के संदर्भ में भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा अपने औपचारिक जवाब मात्र के अतिरिक्त अपनी विशिष्ट साक्ष्य अथवा बिन्दु द्वारा भी खंडन नहीं किया गया है। ना ही प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध किया गया है। अतः चूंकि भूमि वादग्रस्त वादी की एकल खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व प्रदर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को उसकी एकल खातेदारी की भूमि की सीमाओं की रक्षा व भूमि के निर्बाध उपयोग-उपभोग के मौलिक अधिकार से [illegible] जा सकता है। अतः [illegible] इस्तगार वाद [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम ~~[illegible]~~ सुन्दरका बास तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की एकल खातेदारी की	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड
वाद संख्या : 45/2022
निर्णय दिनांक : 29.04.2024

1. कालूराम पुत्र कल्याण जाति नाई
   निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. शांति देवी पत्नी सरदार मल जाति गुर्जर
   निवासी सुन्दर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरदारमल गुर्जर पुत्र सुजाराम जाति गुर्जर
   निवासी सुन्दर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील आमेर जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वादी की ओर से राजस्व ग्राम सुंदर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 307 रकबा 0.57 हैक्टेयर के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। वादी की खातेदारिता की उक्त भूमि की पूर्वी उत्तरी सीमा पर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारिता की भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम देवकाहरवाडा तहसील आमेर स्थित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी एक की भूमियों की पूर्वी पश्चिमी सीमा सीमाजोड़ (लगवा) भूमि है। वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादी की खातेदारिता की उक्त वर्णित भूमि पर दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जबरन अतिक्रमण करने की नियत से पत्थर वगैरा डलवा दिए गए। जिस बाबत मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धमकी दी गई जबकि प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादी के कब्जेकाश्त की भूमि में जबरन/प्रवेश अतिक्रमण कर वादी को बेदखल करें तथा वादी वर्णित आराजीयात का एकमात्र अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिससे वादी को अपनी भूमि की सुरक्षा के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण प्रतिवादीगण के कृत्यो व धमकी से वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे राजस्व ग्राम सुंदर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 307 रकबा 0.57 हैक्टेयर जो की वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है की पूर्वी उत्तरी सीमाओं पर किसी प्रकार से जबरन अतिक्रमण ना करें, ना ही वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें तथा वादी की भूमि की सीमा को खुर्द बुर्द ना करें।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियागए हैं

1. प्रमाणित प्रतिलिपिः– जमाबंदी संवत 2074 से 2077 (खाता सं 18) वाके ग्राम सुंदर का बास तहसील आमेर। जिसके अनुसार भूमि ख.न. 307 रकबा 0.57 हैक्टेयर वादी की एकल खातेदारी की भूमि है।
2. प्रमाणित प्रतिलिपिः– जमाबंदी संवत 2073 से 207[illegible] (खाता सं 63) वाके देवकाहरवाडा तहसील आमेर। जिसके अनुसार भूमि खसरा 549 प्रतिवादी 1 की खातेदारिता की भूमि है।
3. आनलाईन प्रतिः– खसरा नक्शा जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी दर्ज रजिस्टर नियत कर प्रतिवादीगण को उपस्थित होने वह जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा असत्य कथनों पर व प्रतिवादीगण को परेशान करने मात्र के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण की भूमि की सीमा किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की ओर से उल्लेखित दिनांक 15.06.2022 के अनुसार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही/घटना कारित नहीं की गई है ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी वादी को दी गई है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण की भूमि अलग—अलग गाँवों की भूमिया है तथा वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य पुराने सीमा चिन्ह स्थापित है। जिस अनुसार ही प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग—उपयोग करते आ रहे हैं। जिससे वादी प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कानून अधिकारी नहीं है तथा वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

तनकी सं 1:— आया ग्राम सुन्दर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारिता की भूमि आराजी खसरा नं. 307 की पूर्वी उत्तरी सीमा की परिधि में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया है। जिसके बाबत वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है?

—वादी

तनकी सं 2:— आया वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सीमाचिन्ह अंकित/स्थापित है। जिसके अनुसार ही प्रतिवादीगण स्वयं की खातेदारिता की भूमि खसरा नं. 549 (वाकै ग्राम देवका हरवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर) की पश्चिमी सीमा की परिधि में ही काबिज है?

—प्रतिवादीगण

तनकी सं 3:— अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी कालूराम पुत्र कल्याण का तथा गवाह सुनीता पत्नी कालूराम का प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में पत्रावली जिरह साक्ष्य वादी हेतु नियत रहते निरंतर अवसरो उपरांत भी प्रतिवादी पक्ष के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर वादी पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

हमने वादी पक्ष की अंतिम बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व प्रस्तुत अभिकथनों एवं उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के समग्र विवेचन उपरांत प्रकरण का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार हैः—

1. तनकी सं 1:— इस तनकी (वाद बिंदु) को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि वादी की खातेदारिता की भूमि ख. न 307 की पूर्वी उत्तरी सीमा परिधी में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया है। जिसके बाबत वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस संदर्भ मे वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2074 से 2077 (खाता सं 18) वाके ग्राम सुंदर का बास तहसील आमेर अनुसार यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त ख.न. 307 रकबा 0.57 हैक्टेयर वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादी पक्ष का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं होता है ना ही औपचारिक कथनों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपनी विशिष्ट/मान्य [illegible] वादी के कथनों का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका है। जबकि राज[illegible] अधि[illegible] की धारा 188 के अनुसार एक खातेदार काश्तकार को गैर खातेदार/दीगर [illegible] द्वारा खातेदार काश्तकार की भूमि में अविधिक हस्तक्षेप किया जाने पर [illegible] भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में अधिकार प्रदत्त किए गए है जिसके [illegible] अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

2. तनकी सं 2:— इस तनकी (वाद बिंदु) को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सीमाचिन्ह अंकित/स्थापित है। जिसके अनुसार ही

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

प्रतिवादीगण स्वयं की खातेदारिता की भूमि खसरा नं. 549 (वाकै ग्राम देवका हरवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर) की पश्चिमी सीमा की परिधि में ही काबिज है। इस संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य/औपचारिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रतिवादीगण के कथनों की पुष्टि करता हो। ना ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी साक्ष्य को अपनी विशिष्ट दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य से खंडित किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आदेश

उभयपक्षकारान के अभिकथनो व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.न 307 रकबा 0.57 है. वाके ग्राम सुन्दर का बास वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जिसकी सीमाओ की सुरक्षार्थ मात्र के संदर्भ में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने औपचारिक जवाब मात्र के अतिरिक्त अपनी विशिष्ट साक्ष्य अथवा जिरह द्वारा भी खंडन नहीं किया गया है, ना ही प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध किया गया है। अतः चूंकि भूमि वादग्रस्त वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे प्रतिवादी पक्ष का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को उसकी एकल खातेदारिता की भूमि की सीमाओं की रक्षा व भूमि के निर्बाध उपयोग–उपभोग के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम सुन्दर का बास आ.ख.न 307 रकबा 0.57 है. की सीमाओ में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व अतिक्रमण ना करें तथा वादी को उसकी एकल खातेदारिता की उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 45/2022
निर्णय दिनांक : 29.04.2024

1. कालूराम पुत्र कल्याण जाति नाई
   निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. शांति देवी पत्नी सरदार मल जाति गुर्जर
   निवासी सुन्दर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरदारमल गुर्जर पुत्र सुजाराम जाति गुर्जर
   निवासी सुन्दर का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील आमेर जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

उभयपक्षकारान के अभिकथनो व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.न 307 रकबा 0.57 है. वाके ग्राम सुन्दर का बास वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जिसकी सीमाओ की सुरक्षार्थ मात्र के संदर्भ में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने औपचारिक जवाब मात्र के अतिरिक्त अपनी विशिष्ट साक्ष्य अथवा जिरह द्वारा भी खंडन नहीं किया गया है, ना ही प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध किया गया है। अतः चूंकि भूमि वादग्रस्त वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे प्रतिवादी पक्ष का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को उसकी एकल खातेदारिता की भूमि की सीमाओं की रक्षा व भूमि के निर्बाध उपयोग–उपभोग के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम सुन्दर का बास आ.ख.न 307 रकबा 0.57 है. की सीमाओ में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व अतिक्रमण ना करें तथा वादी को उसकी एकल खातेदारिता की उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.04.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर